

4


विधान सभा प्रश्न क्रमांक- 1355 (अतारंकित) की जानकारी

प्रश्नांश (क) का उत्तर

परिशिष्ट "ए"

म.प्र. में पेट्रोल, डीजल एवं एल.पी.जी. पर वेट एवं प्रवेशकर की दर।

अ. क.	वस्तु का नाम	वेट की दर	प्रवेशकर की दर (प्रतिशत में)
1	पेट्रोल	31% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)  अतिरिक्त कर - 1 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 25.11.2015 से 3.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 2 रुपये प्रति लीटर(दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 3 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से 17.08.2016 तक) अतिरिक्त कर - 4 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 18.08.2016 से प्रभावशील	1%
2	डीजल (एच.एस. डी.)	27% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)  अतिरिक्त कर - 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक)	1%

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
व्यवहारिक कर विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

		अतिरिक्त कर - 1 रूपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील)	
3	डीजल (एल.डी. ओ.)	14% (मूल्य आधारित) (दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील)	1%
4	एल.पी.जी (घरेलू)	5% (मूल्य आधारित)	2%
5	एल.पी.जी (व्यवसायिक)	14% (मूल्य आधारित)	2%
		दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील।	

WJ

अबुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

M/17/2/12

संचालक  
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश